

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 422

प्रकरण क्रमांक- SM-EXP-2025-03054

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "बसीर मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, कदीर मोहम्मद" प्रमोटर-बसीर मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, कदीर मोहम्मद द्वारा-श्री बसीर मोहम्मद, पता-आदर्श चौक, मंगला, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "बसीर मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, कदीर मोहम्मद", पता-मंगला, जिला-बिलासपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
30/06/2026	— प्रकरण प्रस्तुत। — अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सृजन शुक्ला उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में अनावेदक के पास आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं है। इस पर प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित राशि 30,00,000/- जमा किये जाने तथा आदेश के पूर्ण पालन किये जाने तक परियोजना के पंजीयन निरस्तीकरण (De-registered) संबंधी कार्यवाही पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु आवश्यक अनुपालन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	